



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2682]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2016/कार्तिक 20, 1938

No. 2682]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2016/KARTIKA 20, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2016

का.आ. 3445(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 26 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 8 नवम्बर, 2016 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3408(अ), तारीख 8 नवम्बर, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में, "11 नवम्बर, 2016" अंकों और शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "14 नवम्बर, 2016" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में,—

- (i) खंड (ग) में, "क्रय के लिए" शब्दों के पश्चात्, "और ग्राहक अपनी पहचान का सबूत उपलब्ध कराएगा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
- (ii) खंड (ज) का लोप किया जाएगा ;
- (iii) खंड (त) में, "करने के लिए" शब्दों के पश्चात्, "जो केवल बकाया या वर्तमान प्रभारों के संदाय के लिए व्यक्तिगत या घरेलू उपभोक्ताओं तक निर्विधित होगा और कोई अग्रिम संदाय अनुज्ञात नहीं होगा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
- (iv) खंड (त) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
"(थ) न्यायालय शुल्क के मद्दे संदाय करने के लिए ।"

3. उक्त अधिसूचना के पैरा 2 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3. भारतीय रिजर्व बैंक नेपाल और भूटान में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय के लिए मार्गनिर्देश जारी करेगा।"

[फा. सं. 10/03/2016-सी.वाई. I]

डॉ. सौरभ गर्ग, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3408(अ), तारीख 8 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3416(अ), तारीख 9 नवम्बर, 2016 तथा का.आ. 3429(अ), तारीख 10 नवम्बर, 2016 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2016

S.O. 3445(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby further amends the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number S.O. 3408(E) dated the 8th November, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 8th November, 2016, namely:—

1. In the said notification, in paragraphs 1 and 2, for the words, figures and letters “the 11th November, 2016” occurring at both places, the words, figures and letters “the 14th November, 2016” shall be substituted.

2. In the said notification, in paragraph 1,—

- (i) in clause (c), after the word “Governments”, the words “and the customers shall provide their identity proof” shall be inserted;
- (ii) clause (j) shall be omitted;
- (iii) in clause (p), after the word “electricity”, the words “which shall be restricted to individuals or households for payment of only arrears or current charges and no advance payments shall be allowed” shall be inserted;
- (iv) after clause (p), the following clause shall be inserted, namely:—
“(q) for payments towards court fees.”.

3. In the said notification, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely:—

“3. The Reserve Bank of India shall issue guidelines for exchange of specified bank notes in Nepal and Bhutan.”.

[F. No. 10/03/2016-Cy. I]

Dr. SAURABH GARG, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification under S.O. 3408(E) dated the 8th November, 2016 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 3416(E) dated the 9th November, 2016 and S.O. 3429(E) dated the 10th November, 2016.